E-mail : dcourtsag-mp@nic.in
Phone : 07582-292995

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (म0प्र0)

–:: विविध आदेश ::–

क्र.: 02 / दो–11–2 / 21 सागर दिनांक 10 / 01 / 22

जिला सागर में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में कोविड–19 महामारी की संख्या में बढोतरी को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय की सलाह अनुसार विज्ञापन क्रं. 120 दिनांक 26.10.21 मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक, भृत्य / चौकीदार / जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारीयों की सीधी भर्ती / नियुक्ति के अंतर्गत जिला न्यायालय सागर में नियत साक्षात्कार दिनांक 15, 16, 17, 18 एवं 19 जनवरी 2022 को होने वाली साक्षात्कार प्रकिया को आगामी आदेश तक **स्थगित** किया जाता है। इन दिनांकों को नियत साक्षात्कार के स्थान पर नवीन तिथियों की सूचना भविष्य में सेवा प्रदाता के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 14.01.2022 तक की भर्ती प्रकिया पर रोक नही लगायी जा रही है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

—Sd—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)
Principal District & Session Judge
SAGAR (M. P.)

पृ.क्रं.: 98 / दो–11–2 / 21 सागर दिनांक 10 / 01 / 22

प्रतिलिपि :–

1. माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर ।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर से अनुरोध है कि वह सर्विस प्रोवाईडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 15.01.22 से दिनांक 19.01.22 तक साक्षात्कार हेतु शेष रहे अभ्यर्थियों को एस0एम0एस0 / ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलंब प्रेषित की जावें।

E-mail : dcourtsag-mp@nic.in
Phone : 07582-292995

4. अध्यक्ष, साक्षात्कार समिति, जिला न्यायालय सागर।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत/कम्प्यूटर/कार्यालय अनुभाग एवं कोर्ट मैनेजर।
6. समस्त साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य ।
7. कलेक्टर जिला सागर।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला सागर।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उपप्रशासनिक अधिकारी प्रथम जिला न्यायालय सागर
10. जिला न्यायालय सागर में परीक्षा में ड्यूटी लगाये गये समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. जनसंपर्क अधिकारी, जिला सागर की ओर इस आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह साक्षात्कार स्थगित होने की तिथियों को समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें।
12. जे0एस0ए0 जिला न्यायालय सागर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर एवं जिला न्यायालय सागर की अधिकारिक वेबसाईड पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. जिला नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश की प्रति सूचना पटल पर चस्पा करवायें।
14. श्री चंद्रमोहन, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी0सी0एस0 की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)

Principal District & Session Judge
SAGAR (M.P.)